


5596 Saini Raj 1951000

5487 S




GRN 19029 28582  
झारखण्ड JHARKHAND

986711 S  
03AA 704759



दस्तावेज लिंक कोड 111/03  
भेदिनीनगर, पलामू



93  
 2/11/19  
 2/11/19  
 2/11/19

### विक्रय-पत्र

1. लेख्यकारीगण का नाम एवं पुरा पता:-

- |  |   |
|--|---|
| 1. श्री राजेश मेहता                                  | } दोनों के पिता का नाम स्व0 बिनेशर महतो |
| 2. श्री मदन कुमार महतो                               |   |
| 3. इन्द्रपरी देवी पति का नाम स्व0 ब्रजेश कुमार मेहता |   |
| 4. गीता देवी पति का नाम स्व0 संजीव कुमार मेहता       |   |

सभी की जाति कोइरी, निवास स्थान ग्राम पंडवा, पोस्ट राजहारा

Handwritten notes in Hindi, including a signature and date '2/11/19'. The text appears to be a legal declaration or a record of the transaction, mentioning names like 'श्री राजेश मेहता' and 'श्री मदन कुमार महतो'.

गीता देवी जामा दाम है जामा जामेन बिने गोर बेवान्त पद  
लिख

//2//

कोलयरी, थाना पंडवा, जिला पलामू झारखण्ड, पेशा कमशः खेती एवं गृहिणी, नागरिकता भारतीय।

PAN-ACNPM5445N, ANQPM2671J, FPBPD5913L एवं CNHPD5445C

शपथ पत्र सं० कमशः 853, 854, 855, 856 दिनांक 21.11.19

2. लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमति बसंती देवी पति का नाम श्री दिनेश्वर साव, जाति सुढ़ी, निवास स्थान ग्राम लामी, पोस्ट लामीपतरा, थाना पंडवा, जिला पलामू झारखण्ड, पेशा गृहिणी, नागरिकता भारतीय। PAN- 6AWPD 55106 शपथ पत्र सं० 857 दिनांक 21.11.19

3. लेख्य प्रकार:- विक्रय पत्र (Sale Deed)

4. मूल्य:- (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य:- मो० 13,82,000/- (तेरह लाख बेरासी हजार) रुपये मात्र, जिसमें जमीन का 11,82,000/- रू० एवं चाहरदिवारी का 2,00,000/-रू० है।

(ख) देय मूल्य:- मो० 19,51,000/- (उन्नीस लाख एकावन हजार) रुपये मात्र।

(5) सम्पत्ति का विवरण:- मवाजी 06 डी० (छः डिसमील) जमीन चाहरदिवारी के अन्दर मौजा निमियां अंचल कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू। इलाके एवं जिला अवर निबन्धन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू हकियत लेख्यकारीगण को उत्तराधिकार में जमीन हासिल है। इस दस्तावेज के साथ एक नक्शा संलग्न है जिसमें बिक्री की जाने वाली भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है, नक्शा इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग वो अंश है:-

बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	नगर नि० हो० नं०	वार्ड नं०
निमियां	192	51	03A0000095000M0	03

खाता नं०	प्लॉट नं०	बिक्री रकवा डी० में
1 (एक)	230 (दो सौ तीस)	06 डी० (छः डिसमील)

श्रीमति बसंती देवी  
श्री दिनेश्वर साव  
शपथ पत्र सं० 857

श्रीमति बसंती देवी  
21.11.19



निरंजन मेहरा

पिता-श्री सुचर्मा देव मेहरा  
पता- कटौतिक, थाना - पंडवा  
दिनांक - पलामू 21.11.19

//3//

चौहद्दी:-

उत्तर :- आज के क़ेता रूपन देवी  
दक्षिण :- रोड  
पूरब :- सुमति मेहता  
पश्चिम :- नहर

जमीन का माप

उत्तर से दक्षिण पूरब तरफ 34 फीट  
उत्तर से दक्षिण पश्चिम तरफ 38 फीट  
पूरब से पश्चिम उत्तर तरफ 75 फीट  
पूरब से पश्चिम दक्षिण तरफ 70 फीट

वार्षिक लगान अनुमानित:- मो0 6/- रूपये अलावे सेस।

नाम मालिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर जिला पलामू।

विदित हो कि उपरोक्त खाना संख्या पाँच की वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी नं0 1 एवं 2 के पिता तथा लेख्यकारी नं0 3 एवं 4 के ससूर बिनिसर महतो ने दिनांक 16.08.2014 ई0 को श्री अशीष कुमार झा पिता सुधीर कुमार झा के द्वारा खरीद कर प्राप्त किये थे, जिसका केवाला नं0 7020 बुक नं0 1 भौ0 नं0 244 पेज नं0 185 से 204 तक है जो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर में दिनांक 16.08.2014 ई0 को निबंधित हुआ है तथा नामांतरण वाद सं0 11/2016-17 के आधार पर नामांतरण होकर डिमांड बिनिसर महतो के नाम से हो0 नं0 1946 पर चलता है एवं कम्प्युटरी पंजी दो के वर्तमान भाग 14 पृष्ठ संख्या 58 पर दर्ज है।

पुनः विदित हो कि बिनिसर महतो का स्वर्गवास हो चुका है तथा दुर्भाग्यवश इनके दो पुत्र ब्रजेश कुमार मेहता तथा संजीव कुमार मेहता का भी स्वर्गवास हो चुका है। दोनों पुत्र का स्वर्गवास होने के बाद इनकी पत्नी उत्तराधिकारी हुई। यानि लेख्यकारी नं0 1 एवं 2 के पैतृक तथा लेख्यकारी नं0 3 तथा 4 के सौहरी हक हासिल है। उक्त भू-खण्ड पर लेख्यकारीगण का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ

ब्रजेश मेहता  
MPO अशीष कुमार  
अ.स.सू.परी.की.वा.प.लामु.ह.प.

जीता देवी

21.11.19

Avinagh Kumar  
s/o - Brajesh Kumar Mehta  
WILL & P.S. - Palamu, Palamu

21.11.19

//4//

रहा है। इस जमीन पर लेख्यकारीगण के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल-कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पत्ति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदैन किया गया है। ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ही है। संक्षेप में यह जमीन सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

यह कि लेख्यकारीगण को रूपये की सख्त जरूरत अपना-अपना विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते है, जिसका प्रबंध अपने-अपने पास से या अन्यत्र से कर पाने के लिए संभव प्रतित नहीं हुआ। एतएव इस संबंध में लेख्यकारीगण ने अपने-अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों से अच्छी तरह से विचार विमर्श किये और सर्वसम्मति से यही निश्चय किया कि उपर खाना संख्या पाँच में उपर वर्णित जमीन को बिक्री कर दिया जाय, इसके मूल्य से प्राप्त राशि से अपने-अपने आवश्यक कार्य को पुरा किया जाए।

लेख्यकारीगण उपर वर्णित जमीन की बिक्री की चर्चा कई व्यक्तियों के समक्ष किया तथा इस बात का प्रचार भी कराया परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए सबों ने इसको अलग-अलग मूल्यांकन किये परन्तु अंत में लेख्यधारिणी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भलि-भाँति निरीक्षण किये तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका आज के बाजार भाव के मुताबिक उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किये तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही अपने नाम से हमेशा के लिए खरीदना भी स्वीकार किये। लेख्यकारीगण ने भी इस मूल्यांकन को प्रत्येक बिन्दु से उचित और अधिकतम मूल्य देखकर बिक्री का सौदा क्रेता के साथ पक्का कर दिया।

यह कि देय मूल्य की पूरी राशि लेख्यधारिणी ने लेख्यकारीगण को भुगतान कर चुके हैं। अब इसके मूल्य की रकम में से लेख्यकारीगण को लेख्यधारिणी से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है। इस प्रकार से इसकी मूल्य की पूरी राशि की वसूली के साथ ही यह केवाला (विक्रय पत्र) आज से पुरी तरह से असर में आ गया और इसके लेख्यकारीगण ने उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित सम्पत्ति पर से अपना-अपना सम्पूर्ण

महाराष्ट्र सरकार  
अर्थ विभाग  
मुंबई



जिना देवी  
24/11/19

//5//

स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटाकर इस पर खास लेख्यधारिणी को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिया। इस प्रकार से इस वर्णित सम्पति के सम्बन्ध लेख्यकारीगण को आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारिणी को प्राप्त हुए तथा अब लेख्यधारिणी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग कर के लाभ उठावें। इसमें अपनी इच्छानुसार घर का निर्माण करा कर अपने परिवारसहित निवास करें, चाहरदिवारी के अन्दर लावें या किराये पर लगावें अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे लेख्यकारीगण एवं इनके उत्तराधिकारीयों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी संबंध या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि इस जमीन के संबंध में लेख्यधारिणी को चाहिए कि झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में इस सम्पति का दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस मेदिनीनगर पलामू के द्वारा स्वयं अपने नाम से करा लें तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

मैंने लेख्यधारिणी को अच्छी तरह समझा दिया है कि उपर वर्णित जमीन में इसके लेख्यकारीगण के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से ऋण इत्यादि नहीं लिया गया है। इस तथ्य के विपरीत कोई बात पायी जाती है तो इसकी भरपायी लेख्यकारीगण करने को सदैव तैयार रहेंगे।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंदिर-मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारीगण इस विक्रय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर एवं पढ़वाकर ठीक एवं सही लिखा पाकर अपने-अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बिना किसी डर भय दबाव के इस दस्तावेज का निष्पादन स्वतंत्र गवाहों के समक्ष कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय

राजेश कुमार  
मदन कुमार  
स.स. १-सुरी वन विभाग मेदिनीनगर  
गीता देवी  
2/11/18



//6//

से निबंधित करवा दे रहे हैं जो सम्पत्ति हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

टंकक  
लव

इ. प्रदीप सिंह  
आ. नि. नि. नि. नि. नि.  
21.11.19



21.11.19  
महाराज सिंह  
महाराज सिंह  
महाराज सिंह  
जतिना देवी  
21.11.19



मैं किस्त मेहता दस्तावेज नवीस ला. नं. 11103 स्वाम मेदिनीनगर,  
प्रमाणित करता हूँ कि दस्तावेज में जिस-जिस व्यक्ति का हाथ-  
नियत लगा है का वास्तविक रूप से सभी अंगुलियों का निशान  
मेरे सामने लिखा गया है ता: 21.11.19

मजदुरकरी -> किस्त मेहता दस्तावेज में जिस-जिस व्यक्ति का  
हाथ-नियत लगा है का वास्तविक रूप से सभी अंगुलियों का  
निशान लगे व्यक्ति को परीक्षा पर हर रूका-समका दिया  
वैले कि ठीक है ता: 21.11.19